कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
योजना शाखा (आवास, दुकान, गुमटी विभाग)

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना दुकान/चबुतरा हेतु पात्रता/नियम शर्तें:–

18 से 40 वर्ष आयु के युवक, युवतियां जिनके पास रोजगार का कोई साधन न हो, जिनके पालक की आय 1.00 लाख रू. प्रतिवर्ष से कम हो, उन्हे किरोयदारी पर नगर निगम भिलाई क्षेत्र में स्थित 80 वर्ग फीट की दुकानें आबंटित की जाती हैं। इस योजना में चबूतरों का आकार 6x6 वर्गफीट का है।
निर्धारित आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज:–

1. आय प्रमाण पत्र
2. आयु प्रमाण पत्र
3. निवास प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. विकलांगता प्रमाण पत्र (दृष्टिहीन को प्राथमिकता)
6. शिक्षित बेरोजगार कोटे में आवेदन हेतु रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन।
7. विभिन्न संवर्गों हेतु संबंधित प्रमाण पत्र।

उक्त योजना में निगम भिलाई द्वारा विज्ञापन/विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात् निर्धारित अवधि व प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होता है।

लाभ:–

शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वरोजगार हेतु अमानत राशि एवं किराये पर दुकान उपलब्ध कराया जाना।

महिला समृद्धि बाजार योजना हेतु पात्रता एवं नियम शर्तें:–

महिला समृद्धि बाजार योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलायें एवं युवतियां जिनके अभिभावक/पालक की वार्षिक आय रू. 1.00 से अधिक न हो, उन्हे किरायेदारी पर दुकाने आबंटित की जाती है। नियम एवं शर्तें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना दुकान की भांति है।
उक्त योजना में भी निगम भिलाई द्वारा विज्ञापन/विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात् निर्धारित अवधि व प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होता है।

लाभ:–

नगरीय निकायों के बेरोजगार महिलाओं एवं युवतियों को स्वरोजगार हेतु अमानत राशि एवं किराये पर दुकान उपलब्ध कराया जाना।

आवेदन पत्र प्रारुप

प्रति,

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

विषय :– मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत चबुतरा आबंटन हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. आवेदक का वर्तमान पूर्ण पता .....
4. स्थायी पता .....
5. आवेदिका का संवर्ग :– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा/वर्ग/विधवा/परित्यक्ता/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/शिक्षित बेरोजगार/सामान्य–.....
6. जाति ..... जन्मतिथि –..... आयु .....
7. वार्षिक आय .....
8. आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से निगम क्षेत्र में दुकान/भूखण्ड/गुमटी/चबुतरा आदि हो तो उसका विवरण .....
9. परिवार की कुल सदस्य संख्या .....
10. आवेदक यदि अनु. जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो उसका जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
11. आवेदक यदि भूतपूर्व सैनिक वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग का है तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. यदि आवेदक विकलांग हो तो सक्षम प्राधिकारी का विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न करें, जिससे दृष्टिहीन विकलांगों को प्राथमिकता दी जावेगी।
13. यदि आवेदिका विधवा/परित्यक्ता हो तो विधवा हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र व परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय का तलाकनामा संलग्न करें।
14. आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों के नाम से कोई व्यावसायिक भूखण्ड/दुकान न होने सम्बंधी शपथ पत्र संलग्न करें।
15. आवेदन पत्र तथा समस्त पात्रता सम्बंधी दस्तावेजों के अमानत राशि 1000/– निगम कोष में जमा करें।
16. आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात शेष अमानत राशि 6000/– रुपये, 9000/– रुपये निगम कोष में जमा करने के पश्चात ही आवेदिका को लॉटरी में शामिल किया जावेगा।
17. प्रस्तावित स्थल का तथा लॉटरी द्वारा आबंटन के पश्चात स्थल/चबुतरा क्रमांक में कोई भी परिवर्तन/स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।
18. सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी आय एवं निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।

सत्यापन :– मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही एवं सत्य है। असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदन स्वयमेव निरस्त माना जावेगा तथा निगम द्वारा निर्धारित समस्त नियम–शर्तें मुझे मान्य होगी।

दिनांक : / /

आवेदक का हस्ताक्षर .....
नाम .....
पूर्ण पता .....
.....
मो. नं. .....

आवेदन पत्र प्रारुप

प्रति,

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

विषय :– महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत दुकान आबंटन हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदिका का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. आवेदक का वर्तमान पूर्ण पता .....
4. स्थायी पता .....
5. आवेदिका का संवर्ग :– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा/वर्ग/विधवा/ परित्यक्ता/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/शिक्षित बेरोजगार/सामान्य–.....
6. जाति ..... जन्मतिथि –..... आयु .....
7. वार्षिक आय .....
8. आवेदिका या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से निगम क्षेत्र में दुकान/भूखण्ड/गुमटी/ चबुतरा आदि हो तो उसका विवरण .....
9. परिवार की कुल सदस्य संख्या .....
10. आवेदिका यदि अनु. जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो उसका जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
11. आवेदिका यदि भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग का है तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. यदि आवेदिका विकलांग हो तो सक्षम प्राधिकारी का विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न करें, जिससे दृष्टिहीन विकलांगों को प्राथमिकता दी जावेगी।
13. यदि आवेदिका विधवा/परित्यक्ता हो तो विधवा हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र व परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय का तलाकनामा संलग्न करें।
14. आवेदिका या उसके परिवार के सदस्यों के नाम से कोई व्यावसायिक भूखण्ड/दुकान न होने सम्बंधी शपथ पत्र संलग्न करें।
15. आवेदन पत्र तथा समस्त पात्रता सम्बंधी दस्तावेजों के अमानत राशि 2500/– निगम कोष में जमा करें।
16. आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात शेष अमानत राशि 7500/– रुपये निगम कोष में जमा करने के पश्चात ही आवेदिका को लॉटरी में शामिल किया जावेगा।
17. प्रस्तावित स्थल का तथा लॉटरी द्वारा आबंटन के पश्चात स्थल/दुकान कमांक में कोई भी परिवर्तन/स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।
18. सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी आय एवं निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।

सत्यापन :– मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही एवं सत्य है। असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदन स्वयमेव निरस्त माना जावेगा तथा निगम द्वारा निर्धारित समस्त नियम–शर्तें मुझे मान्य होगी।

विशेष टीप :– प्रस्तावित संतोषीपारा में निर्मित रिक्त दुकानों को यथास्थिति में आबंटन की जावेगी। आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व प्रस्तावित दुकान का निरीक्षण कर आवेदन प्रस्तुत करें।

दिनांक : / /

आवेदिका का हस्ताक्षर .....
नाम .....
पूर्ण पता .....
मो. नं. .....

आवेदन पत्र प्रारुप

प्रति,

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

विषय :– मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत दुकान आबंटन हेतु आवेदन पत्र।

19. आवेदक/आवेदिका का नाम .....
20. पिता/पति का नाम .....
21. आवेदक का वर्तमान पूर्ण पता .....
22. स्थायी पता .....
23. आवेदिका का संवर्ग :– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा/वर्ग/विधवा/ परित्यक्ता/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/शिक्षित बेरोजगार/सामान्य–.....
24. जाति ..... जन्मतिथि –..... आयु .....
25. वार्षिक आय .....
26. आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से निगम क्षेत्र में दुकान/भूखण्ड/गुमटी/चबुतरा आदि हो तो उसका विवरण .....
27. परिवार की कुल सदस्य संख्या .....
28. आवेदक यदि अनु. जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो उसका जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
29. आवेदक यदि भूतपूर्व सैनिक वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग का है तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
30. यदि आवेदक विकलांग हो तो सक्षम प्राधिकारी का विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न करें, जिससे दृष्टिहीन विकलांगों को प्राथमिकता दी जावेगी।
31. यदि आवेदिका विधवा/परित्यक्ता हो तो विधवा हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र व परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय का तलाकनामा संलग्न करें।
32. आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों के नाम से कोई व्यावसायिक भूखण्ड/दुकान न होने सम्बंधी शपथ पत्र संलग्न करें।
33. आवेदन पत्र तथा समस्त पात्रता सम्बंधी दस्तावेजों के अमानत राशि 1000/– निगम कोष में जमा करें।
34. आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात शेष अमानत राशि 6000/– रुपये, 9000/– रुपये निगम कोष में जमा करने के पश्चात ही आवेदिका को लॉटरी में शामिल किया जावेगा।
35. प्रस्तावित स्थल का तथा लॉटरी द्वारा आबंटन के पश्चात स्थल/दुकान कमांक में कोई भी परिवर्तन/स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।
36. सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी आय एवं निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।

सत्यापन :– मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही एवं सत्य है। असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदन स्वयमेव निरस्त माना जावेगा तथा निगम द्वारा निर्धारित समस्त नियम–शर्तें मुझे मान्य होगी।

दिनांक : / /

आवेदक का हस्ताक्षर .....
नाम .....
पूर्ण पता .....
.....
मो. नं. .....